

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



Rs. 100

29 AUG 2023

HUND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

NOTARIAL

CANCEL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पंचांग निर्णय रु. १

GM 879331

(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप:-

हम राम बहादुर एवं सत्यम् कृष्णा क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक डॉ० लोहिया शिक्षा समिति पता— ग्राम— उसरु रायबरेली रोड जनपद— अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा डॉ० लोहिया कालेज ऑफ फार्मेसी पता— ग्राम— अहिरौली सलोनी पोस्ट— कुचेरा, तहसील—मिल्कीपुर जनपद— अयोध्या नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम डॉ० लोहिया कालेज ऑफ फार्मेसी पता— ग्राम— अहिरौली सलोनी पोस्ट— कुचेरा, तहसील—मिल्कीपुर जनपद— अयोध्या मे गाटा संख्या 476,477,480,526,527 एवं 681 रकबा 0.90998ह० भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 476,477,480,526,527 एवं 681 रकबा 0.90998ह० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.07.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्मसी काउन्सिल आर्क इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिल्लोग इन कार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में कार्मसी काउन्सिल आर्क इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्मसी काउन्सिल आर्क इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक वलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्मसी काउन्सिल आर्क इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक रूप की तैनाती सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करुगां। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय नियमण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की नियमण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Satyam
ह० प्रबंधक

२८/१८७८
ह० अध्यक्ष

Statement द्वारा
Identified by Sh.
S/WORN AND VERIFIED BY S.H.R. M.P.

M. P. M.
30/9/23